तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ... में ...
	मदनी बनाम सरकार प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट 26.10.2021 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी खसरा संख्या 3662/0.17, 3670/4737/0.78, 3687/0.70, 3708/0.95, 553/0.01, 554/0.12, 555/0.11, 610/4739/0.35, 611/4736/0.01, 616/0.03, 603/0.04, 604/0.04, 3659/0.02, 3660/0.01, 3661/0.02 वाके ग्राम राजगढ से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई रूकावट मजाहमत पैदा नही करे। साथ में शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 02.11.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 02.11.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) ..2/11/21.. अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक ..9/11/21.. को पेश हो S.D.O. 25/11/21 डिमर्जाई पेशी से पेश। वकील प्रार्थी व पैरोकार के प्रतिनिधी उप० पैरोकार की तरफ से जवाब पेश करना नहीं चाहते अतः जवाब अप्रार्थी बंद किया जाता है वास्ते बहस प्रा० पत्र दि० 08/12/21 को पेश हो S.D.O.	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस
	24/09/25 पत्रावली एक आई तारीख पेश। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते बहस दिनांक 28/10/25 को पेश हो। SDO 28/10/25 पत्रावली पेश। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः पत्रावली प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद्पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1/130/2021
	24/09/25 पत्रावली इक आई तारीख से पेश। वकील वादी व पैरो० प्रति० हुए० । वास्ते बहस दिनांक 28/10/25 को पेश हो। SDO 28/10/25 पत्रावली पेश। वादी वकील व स्वयं वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलाये जाने के बावजूद वादी वकील व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। अत: पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर जमा हो। SDO